2330
26/6/13

157.

पंजीकृत प्रमते।

समक्ष : श्रीमान् राजस्व मंडल (म0प्र0) ग्वालियर

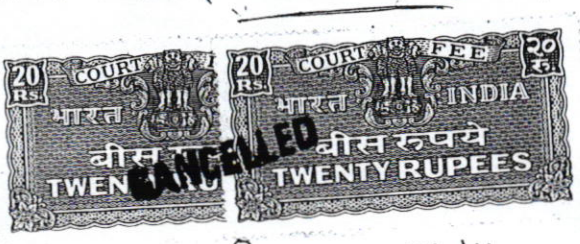

20 Rs. COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA CANCELLED

RL 116150990
4-10-14

R.3405-II/14

ग्रामीण जनता सरईकापा थाना व तहसील बुढार जिला–शहडोल द्वारा रामबाबू गुप्ता एवं अन्य ग्रामीण जन -----आवेदकगण / सूचनादाता

3282
4-10-14

बनाम

1. बृजेश कुमार आयु 52 साल आत्मज श्री भगवानदास निवासी व पोस्ट सरईकापा थाना व तहसील बुढार जिला–शहडोल

2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर शहडोल जिला–शहडोल म0प्र0-----अनावेदक

कार्यालय कलेक्टर (म.प्र.)
18 JUN 2013
शाखा
अधीक्षक
कलेक्टर

ग्राम सरईकापा जनरल नंबर 940 पटवारी हल्का सरईकापा राजस्व निरीक्षक मंडल धनुपरी तहसील बुढार जिला–शहडोल मध्य प्रदेश स्थित श्मशान व गोठान की सार्वजनिक निस्तार की भूमि खसरा नंबर 27/0.36 एवं खसरा नंबर 30 जुज 0.61 का गलत एवं अवैध व्यवस्थापन निरस्त करने बावत् कार्यवाही करने हेतु आवेदन पत्र

RL 116150990
4-10-14

मान्यवर,

आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करते हैः–

उक्त भूमि बहुत पुराने समय से सार्वजनिक निस्तार की श्मशान गोठान की रही आयी है, खसरा वर्ष 1975 – 76 लगायत 91–92 संलग्न है।

कुछ दिनों पूर्व ब्रजेश कुमार पिता भगवानदास ब्राम्हण निवासी सरईकापा ने निस्तार रोकना और इस पर कब्जा करना शुरू किया, तो हम लोगों ने बुढार अदालत में दावा किया, जिसमें **ब्रजेश कुमार ने नायब तहसीलदार बुढार के प्रकरण कमांक 182/अ/19(4) 91–91 के आदेश दिनांक 12.04.91 से मौजा सरईकापा का जारी पट्टा पेश किया,** जिस पर हमने इसके पूरे ऑर्डरशीट प्रारूप आवेदन कथन आवेदक, रमेश ब्राम्हण, हरिसिंह क्षत्रिय व पटवारी हल्का जयमंगल सिंह के बयान की नकलें लिया, जिससे निम्न बातें दर्शित होती हैः–

1. पूरी ऑर्डरशीट प्रिंटेड आवेदन बयान प्रोफार्मा, में जो है, वह सब एक ही दिन की और पटवारी जयमंगल सिंह के हाथों की लिखी है।

2. प्रारूप आवेदन में न तो टिकट लगी है, और न कोई तारीख ही लिखा है।

/2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 **R.**3405–दो/14 जिला–शहडोल

ग्रामीण जनता सरकिया/ बृजेश कुमार

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	